न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 479/2022

वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. विनोद कुमार पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. करनी सिंह पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. साहबराम पुत्र श्री पेमाराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. मन्जू देवी पुत्री श्री साहबराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सरोज पुत्री श्री साहबराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 14.10.2022

वादीगण विनोद कुमार वगैरा ने प्रतिवादीगण साहबराम वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादीगण का पिता, प्रतिवादीया सं. 2 व 3 वादीगण की बहिने हैं जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादीया सं. 2 व 3 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 एम.जे.डी. जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 के खाता सं. 106/27 में 7.210 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि विरासतन हैं तथा वादीगण के दादा से विरासतन तौर पर प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त हुई हैं, में वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व(By birth Right) निहित है परन्तू उक्त समस्त कृषि भूमि प्रतिवादी

लगातार --2

14/10/22
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सं. 1 के नाम से ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 के प्रतिवादी सं. 2 व 3 के प्रभाव में होने व उक्त कृषि भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने उक्त विरासतन कृषि भूमि में अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। जिनका अब उक्त कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को घरु तौर पर बंटवारा एवं विभाजन में प्राप्त विरासतन कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है हैं :-

(क) वादी सं. 1 विनोद कुमार पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 6 एम.जे.डी. जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 खाता सं. 106/27

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
158/184	26	21/0.253 है., 22/0.126 है.
158/185	39	1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है., 2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है., 9ता12/0.253 है.प्र.
		कुल 1.897 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) वादी सं. 2 करनी सिंह पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 6 एम.जे.डी. जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 खाता सं. 106/27

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
158/184	26	22/0.127 है., 23/0.253 है.
158/185	39	3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है., 4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है., 7,8,13,14/0.253 है.प्र.
		कुल 1.898 है. मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 1 साहबराम पुत्र श्री पेमाराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 6 एम.जे.डी. जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 खाता सं. 106/27

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
156/187	60	12,13,14,17,18,19/0.253 है.प्र.
157/183	18	22/2/0.126 है., 24,25/0.253 है.प्र.

लगातार --3

14/10

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

157/184	25	2,3/0.253 है.प्र., 9/1/0.201 है., 9/2/0.025 है., 9/3/0.027 है.
158/183	17	20,21/0.253 है.प्र.
		कुल 3.415 है. कृषि भूमि

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण सं. 4(क) के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादीगण ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 2 व 3 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति का जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 4 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 6 एम.जे.डी. जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 के खाता सं. 106/27 की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादीगण में वादी सं. 1 का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीगण के अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी सं. 2 व 3 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति का जवाब दावा पेश किया गया। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण ने राजीनामा एवं

14/10

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

लगातार --4

सहमति के जवाब दावा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीया सं. 2 व 3 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 एम.जे.डी. जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 के खाता सं. 106/27 में 7.210 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। विरासतन साक्ष्य के तौर पर तहसील संगरिया के चक 6 एम.जे.डी. जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 के खाता सं. 106/27 की जमाबन्दी पेश की। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा राजीनामा एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामा एवं सहमति के जवाब दावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि :-

(क) वादी सं. 1 विनोद कुमार पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 6 एम.जे.डी. जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 खाता सं. 106/27

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
158/184	26	21/0.253 है.,
		22/0.126 है.(किला नं. 21 के साथ चिपता हुआ)
158/185	39	1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है., 2/1/0.228 है.,
		2/2/0.025 है., 9ता12/0.253 है.प्र.
		कुल 1.897 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) वादी सं. 2 करनी सिंह पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 6 एम.जे.डी. जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 खाता सं. 106/27

प.न.	मु.नं.	कि.नं.
158/184	26	22/0.127 है.(किला नं. 23 के साथ चिपता हुआ),
		23/0.253 है.
158/185	39	3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,

14/10

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

लगातार --5

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.,

7,8,13,14/0.253 है.प्र.

कुल 1.898 है. मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 1 साहबराम पुत्र श्री पेमाराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 6 एम.जे.डी. जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 खाता सं. 106/27

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
156/187	60	12,13,14,17,18,19/0.253 है.प्र.
157/183	18	22/2/0.126 है., 24,25/0.253 है.प्र.
157/184	25	2,3/0.253 है.प्र., 9/1/0.201 है.,
		9/2/0.025 है., 9/3/0.027 है.
158/183	17	20,21/0.253 है.प्र.
		कुल 3.415 है. कृषि भूमि

उपरोक्तानुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता विभाजन कर रकमराज अलग से कायम की जाकर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/10/22

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),

संगरिया

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 479/2022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. विनोद कुमार पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. करनी सिंह पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. साहबराम पुत्र श्री पेमाराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. मन्जू देवी पुत्री श्री साहबराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सरोज पुत्री श्री साहबराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 14.10.2022

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मुण्ड वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री महावीर बेरड़ वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि:-

(क) वादी सं. 1 विनोद कुमार पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 6 एम.जे.डी. जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 खाता सं. 106/27

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
158/184	26	21/0.253 है.,
		22/0.126 है.(किला नं. 21 के साथ चिपता हुआ),
158/185	39	1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है., 2/1/0.228 है.,
		2/2/0.025 है., 9ता12/0.253 है.प्र.
		कुल 1.897 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) वादी सं. 2 करनी सिंह पुत्र श्री साहबराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

14/10/22

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

लगातार --2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चक 6 एम.जे.डी. जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 खाता सं. 106/27

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
158/184	26	22/0.127 है.(किला नं. 23 के साथ चिपता हुआ),
		23/0.253 है.
158/185	39	3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,
		4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.,
		7,8,13,14/0.253 है.प्र.
		कुल 1.898 है. मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 1 साहबराम पुत्र श्री पेमाराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 6 एम.जे.डी. जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 खाता सं. 106/27

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
156/187	60	12,13,14,17,18,19/0.253 है.प्र.
157/183	18	22/2/0.126 है., 24,25/0.253 है.प्र.
157/184	25	2,3/0.253 है.प्र., 9/1/0.201 है.,
		9/2/0.025 है., 9/3/0.027 है.
		20,21/0.253 है.प्र.
158/183	17	
		कुल 3.415 है. कृषि भूमि

उपरोक्तानुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता विभाजन कर रकमराज अलग से कायम की जाकर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ....X.... निल ....X.... मुब्लिक ....X.... निल ....X.... बाबत् ....X.... निल....100/-.... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....X....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 14.10.2022 को जारी किया जाता है।

14/10/22

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),

संगरिया